Con. 3. 1.2.46
1000

अंक 1
संख्या 2

मंगलवार
10 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. स्थायी सभापति के चुनाव की विधि 1
2. केन्द्रीय धारा सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं की स्वीकृति 8
3. विधान-परिषद् कार्यालय के वर्तमान संगठन की स्वीकृति 12
4. कार्य संचालनार्थ नियम-निर्मातृ-समिति की स्थापना 13
5. सभापति तथा समिति के सदस्यों के मनोनीतकरण के सम्बन्ध में विज्ञप्ति 34

भारतीय विधान-परिषद्

मंगलवार, 10 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 11 बजे अस्थायी सभापति डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा के सभापतित्व में बैठी।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): यदि कोई माननीय सदस्य कल दोपहर के बाद आये हों और अपना परिचय-पत्र दिखाकर अब तक रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किये हों, तो इस समय ऐसा कर सकते हैं।

(हस्ताक्षर करने कोई नहीं आया)

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब मैं स्थायी सभापति के चुनाव के लिए विधि निर्धारित करने का प्रस्ताव लेता हूं जो कार्यक्रम की दूसरी चीज है। मैं समझता हूं, आचार्य कृपलानी उस प्रस्ताव को पेश करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे प्रस्ताव उपस्थित करें।

स्थायी सभापति के चुनाव की विधि

***आचार्य जे.बी. कृपलानी** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं, जो स्थायी सभापति के चुनाव की व्यवस्था निर्धारित करता है। स्थायी सभापति को आगे हम सभापति विधान-परिषद् के नाम से सम्बोधित करेंगे। प्रस्ताव यों है:

> ''यह सभा निश्चय करती है कि सभापति के चुनाव के लिए निम्नलिखित नियम प्रयोग किए जायें:
>
> (1) आज दोपहर 2.30 के पहले कोई भी सदस्य सभापति के चुनाव के लिए किसी भी सदस्य का नाम उपस्थित कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह नामजदगी के पर्चे को जिस पर प्रस्तावक का तथा किसी तीसरे समर्थक सदस्य के हस्ताक्षर हों, अस्थायी सभापति

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[आचार्य जे.पी. कृपलानी]

को या वे जिसे नियुक्त करें, उसे उक्त समय के पहले दे दें। नामजदगी के पर्चे में इन बातों का उल्लेख आवश्यक है—

(क) मनोनीत सभापति का नाम।

(ख) यह कि प्रस्तावक ने इस बात का खुलासा कर लिया है कि वह सज्जन सभापति चुने जाने पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये प्रस्तुत हैं।

(2) किसी भी समय अस्थायी सभापति होने के नाते अस्थायी सभापति सभा के सामने मनोनीत सदस्यों का तथा उनके प्रस्तावकों और समर्थकों का नाम पढ़कर सुना देंगे और यदि एक ही सदस्य मनोनीत किये गये हैं, तो वे उन्हें निर्वाचित घोषित करेंगे। यदि एक से अधिक सदस्य मनोनीत किये गये हैं, तो सभा अस्थायी सभापति द्वारा निर्धारित दिन बैलट (अप्रकट-मत प्रणाली) द्वारा सभापति का चुनाव करेगी।

(3) नियम (2) की उद्देश्य-पूर्ति के लिए कोई भी सदस्य नियमानुसार मनोनीत या मत देने का अधिकारी न समझा जायेगा, यदि उसने या उसके प्रस्तावक अथवा समर्थक ने एसेम्बली के रजिस्टर पर बहैसियत सदस्य के हस्ताक्षर न किया हो।

(4) यदि दो ही उम्मीदवार सभापति-पद के लिये मनोनीत किये गये हों, तो वह उम्मीदवार जिसे बैलट में अधिक मत मिले होंगे, चुना हुआ घोषित किया जायेगा। यदि दोनों को समान मत मिले हैं, तो लाटरी से इसका फैसला होगा।

(5) जब दो से ज्यादा उम्मीदवार मनोनीत किये गये हों और पहली मत-गणना (बैलट) में किसी भी उम्मीदवार को शेष समस्त उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के कुल जोड़ से अधिक मत नहीं मिला है, तो वह उम्मीदवार जिसे सबसे कम मत मिले हैं चुनाव से हटा दिया जायेगा और फिर मतगणना (बैलटिंग) की जायेगी। इस तरह हर मतगणना में सबसे कम मत पाने वाला उम्मीदवार चुनाव से अलग होता जायेगा, जब तक कि एक उम्मीदवार अपने प्रतिद्वन्द्वी से अधिक मत न पा ले, या शेष समस्त उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल मत से अधिक मत

न पा ले। इस तरह अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(6) किसी मतगणना (बैलट) में यदि तीन या अधिक उम्मीदवारों को समान मत मिले हों और उनमें से एक को नियम (4) के अनुसार चुनाव से अलग करना है, तो समान मत प्राप्त उम्मीदवारों में से कौन अलग किया जाये, इसका फैसला लाटरी से किया जायेगा।''

सभापति के निर्वाचन की विधि निर्धारित करने वाले इस प्रस्ताव के लिये इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं सभा से इसकी सिफारिश करूं। सभी धारा-सभाओं (Legt. Assembly) में सर्वदा ये ही नियम प्रयोग किए जाते हैं।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): प्रस्ताव बाकायदा पेश हो चुका है और इसका समर्थन किया जा चुका है। अब मैं उस पर मत लेता हूं।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): सभापति महोदय, क्या प्रस्ताव में कुछ शाब्दिक परिवर्तन का सुझाव पेश करने की अनुमति मुझे मिल सकती है?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): माननीय सदस्य को पूरा हक है कि वह जैसा चाहे सुझाव पेश करें। हम उन सुझावों पर विचार करेंगे। क्या सुझाव पेश करने के पहले माननीय सदस्य मंच पर आना चाहते हैं?

***डॉ. पी.एस. देशमुख** *(मंच पर आकर)*: मेरा सुझाव है कि पैरा (1) की पंक्ति (4) में 'तीसरे' (third) शब्द की जगह 'अन्य' शब्द रख दिया जाये। और पैरा तीन की दूसरी पंक्ति में 'और' की जगह दोनों स्थानों पर 'या' रख दिया जाये। मेरी राय में यह परिवर्तन आवश्यक है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्या आचार्य कृपलानी इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं?

आचार्य जे.बी. कृपलानी: मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): इस परिवर्तन से तो यह अर्थ निकलता है कि समर्थक ऐसा भी हो सकता है, जो सभा का सदस्य न हो।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं यहां भाष्य करने के लिये नहीं हूं। भाष्य करना संकट का कार्य है। यदि सभा अनुमति दे तो मैं प्रस्तावित संशोधन पढ़कर सुना दूं। पहला संशोधन है कि पैराग्राफ (1) में 'तीसरे' शब्द की जगह 'अन्य' शब्द रखा जाये। क्या आचार्य कृपलानी इसे स्वीकार करते हैं?

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): 'तीसरे' शब्द के स्थान पर 'अन्य' शब्द रखे जाने पर और किसी सदस्य को आपत्ति है?

***श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर** (मद्रास जनरल): मुझे इस संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है। पर इस परिवर्तन को मान लेने में एक असुविधा है। इस पैराग्राफ के पहले के पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति में 'अन्य' सदस्य शब्द आ चुका है। यदि आप इस संशोधन को स्वीकार करते हैं, इससे यह मतलब हो जाता है कि जो सदस्य सभापति बनाये जा रहे हैं, उन्हें खुद समर्थक होना चाहिए और यह बात बिल्कुल अर्थहीन है। अत: इस संशोधन का मैं विरोध करता हूं। मूल शब्द 'तीसरे' रहना चाहिए। यह संशोधन अनावश्यक है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्या आप चाहते हैं कि आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव में जो शब्द हैं, वे ही रहें, उनमें कोई रद्दोबदल न हो?

***श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर:** हां।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** संशोधन पर उठाई गई आपत्ति मेरी समझ में आ गई और मैं अपने संशोधन पर जोर देना नहीं चाहता। पर मैं समझता हूं यह ज्यादा अच्छा मालूम पड़ेगा, यदि प्रथम 'किसी' की जगह कोई 'किसी एक' और 'तीसरे' शब्द की जगह 'अन्य' रख दिया जाये। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न समझा जाये कि बहुत रद्दोबदल का सुझाव पेश कर रहा हूं। पर हम लोग विधान बनाने बैठे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज सभा के बाहर।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): यह तो वैधानिक बात नहीं है। पहले आपने एक सुझाव दिया कि 'तीसरे' शब्द की जगह 'अन्य' रख दिया जाये। आपके

प्रथम संशोधन पर कोई निर्णय हो, इसके पूर्व ही यदि आप दूसरा संशोधन रखेंगे तो सभा के साथ ज्यादती होगी। इस समय तो सभा के सामने केवल यह प्रश्न है कि आया आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव में 'तीसरे' शब्द की जगह 'अन्य' रखा जाये या नहीं; उसके तय हो जाने पर आप चाहें तो दूसरा संशोधन रख सकते हैं।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** यह तो अनुवर्ती सुझाव है। मैं इसे पढ़कर सुना देना।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): नहीं, नहीं।

***आचार्य जे.बी. कृपलानीः** मेरी समझ में प्रस्ताव का मूलरूप बहुत अच्छा है। मैंने तो वाद-विवाद बचाने के विचार से ही सुझाव स्वीकार कर लिया था।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): यदि सभा मेरी राय मांगे तो मैं यही कहूंगा कि प्रस्ताव के मूल शब्दों से कोई अन्य अर्थ नहीं लगता। वे ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं, पर इसका फैसला करना सभा के हाथ में है।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य** (मद्रास : जनरल): मैं समझता हूं, संशोधन के उपस्थित करने वाले सज्जन गलतफहमी में हैं यह तो सिर्फ भाषा के सौंदर्य की बात है। प्रस्ताव के मूल शब्दों से जो अर्थ निकलता है वह यह है—प्रस्तावक, प्रस्तावित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा सदस्य होना चाहिये। दूसरी बात है कि समर्थक भी प्रस्तावक या प्रस्तावित सदस्य के अलावा कोई और सदस्य होना चाहिए। अतः प्रस्ताव में 'तीसरे' शब्द उपयुक्त है और उसकी जगह कोई भी अन्य शब्द रखने से गलतफहमी पैदा हो सकती है।

***एक सदस्यः** जब प्रस्तावक ने खुद संशोधन स्वीकार कर लिया है, तो मैं नहीं समझता कि उस पर और बहस जरूरी है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): पर अवश्य ही आप प्रस्ताव उपस्थित करने वाले सदस्य को वाद-विवाद सुनने के बाद अपनी राय बदलने की अनुमति देंगे। इससे कोई क्षति न होगी। आप उनको राय बदलने से जबरदस्ती रोक नहीं सकते। मेरी समझ में इतने वाद-विवाद के परिणामस्वरूप अब प्रस्ताव में 'तीसरे' शब्द ज्यों का त्यों रह जाना चाहिए।

***एक सदस्यः** सभापति महोदय, आचार्य कृपलानी ने पहले यह संशोधन रखा था कि चेयरमैन को प्रेसीडेंट कहा जाये। इस पर सभा की राय नहीं ली गई है। मैं नहीं जानता, आया इस पर राय लेना जरूरी है या यह मंजूर किया गया है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): नहीं, वह अभी मंजूर नहीं किया गया है। वैधानिक सलाहकार से मुझे परामर्श मिला है कि पार्लियामेंट के नियमानुसार स्थायी और अस्थायी दोनों सभापतियों के लिए हमें चेयरमैन शब्द का ही प्रयोग करना होगा। मेरे लिए अस्थायी चेयरमैन और दूसरे को स्थायी चेयरमैन कहा जायेगा। परन्तु नियम-निर्मातृ-समिति (Rules Committee) जो शीघ्र ही निर्मित होगी, इस मामले का फैसला करेगी। नियम-निर्मातृ-समिति को अधिकार है, वह 'प्रेसीडेंट' शब्द का ही व्यवहार करे। अतः फिलहाल 'चेयरमैन' शब्द ज्यों का त्यों रहने देना चाहिए।

अब हम आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव के तीसरे भाग को लेते हैं, जो यों है–

> ''नियम नं. (2) की उद्देश्य पूर्ति के लिए कोई भी सदस्य नियमानुसार मनोनीत या मत देने का अधिकारी न समझा जायेगा, यदि उसने और उसके प्रस्तावक और समर्थक ने एसेम्बली के रजिस्टर पर बहैसियत सदस्य के हस्ताक्षर न किये हों।''

संशोधन यह है कि इस भाग में 'और' शब्द जो दो जगह आया है, उसकी जगह 'या' शब्द रख दिया जाये। मैं आचार्य कृपलानी से जानना चाहता हूं कि क्या वे यह संशोधन मंजूर करते हैं?

***आचार्य जे.बी. कृपलानीः** मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता, बल्कि 'और' शब्द ज्यादा उपयुक्त है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं समझता हूं आप 'और' शब्द पर ही कायम रहना चाहते हैं, बजाय उसे 'या' में बदलने के, यद्यपि आप दोनों में अन्तर नहीं समझते।

***आचार्य जे.बी. कृपलानीः** हां, जनाब, जो शब्द प्रस्ताव में है, मैं उसे ही चाहता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): सभा की क्या राय है?

कुछ सदस्यः 'या' उपयुक्त है।

बहुत से सदस्यः कोई रद्दोबदल न हो।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): सभा की यह राय मालूम पड़ती है, 'और' शब्द को 'या' में बदलने की कोई जरूरत नहीं है और प्रस्ताव ज्यों का त्यों रहना चाहिए।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं। इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सके।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो सभा के सामने बोलने आये हैं, वह यह कहना चाहते हैं कि ऐसे नियमों में यह व्यवस्था रहती है कि कोई सदस्य चुनाव की प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले सके। मेरी समझ में यह बात सच है। उनका कहना है कि—हो सकता है इसकी जरूरत न पड़े–प्रस्ताव में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि चुनाव के लिए नामजद किया हुआ कोई सदस्य यदि प्रतियोगिता से हटना चाहे, तो वह समय पर ऐसा कर सके। ऐसी व्यवस्था जोड़ देने में मैं कोई क्षति नहीं समझता।

***श्री एच.वी. कामतः** सभापति महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं निम्नलिखित भाग जोड़ने की सिफारिश करूंगा। ''जब एक से ज्यादा उम्मीदवार का नाम आ जाये, तो चेयरमैन एक तारीख और समय निर्धारित कर देंगे कि कोई उम्मीदवार जो प्रतियोगिता से हटना चाहते हैं, उस समय तक अपना नाम वापस ले लें।''

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): बहुत ठीक। मैं आपके अभिप्राय को जहां तक मुझसे हो सकता है, सीधी-साफ भाषा में रखने की कोशिश करूंगा, यह व्यवस्था जोड़ी जा सकती है।

अब सारे संशोधन तय हो गये हैं और अब मैं आचार्य कृपलानी का प्रस्ताव बदस्तूर सभा के सामने रखता हूं, ताकि यह पास हो जाये।

प्रस्ताव मंजूर किया गया।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित करता हूं।

केन्द्रीय धारा सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं की स्वीकृति

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब मैं माननीय सदस्य पं. जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित करता हूं कि बाकी तीन प्रस्तावों में पहला सभा के सामने रखें।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं और आशा है, इससे सभा के कार्य संचालन में मदद मिलेगी:—

> ''वह सभा तब तक के लिए जब तक कि विधान-परिषद् के कार्य संचालन के लिये इसके अपने नियम न बन जायें, केन्द्रीय धारा-सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं को ऐसे परिवर्तनों के साथ जो सभापति उचित समझे, मंजूर करती है।''

सभा को मालूम है कि विधान-परिषद् ने बिना ऐसे नियमों के जिन्हें किसी विदेशी सत्ता ने बनाये हों, अपना काम शुरू किया है। इसे अपने नियम खुद बनाने हैं। बाद में मैं नियम निर्माण के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव सभा के सामने रखूंगा। सम्भवत: उस समिति को अपना काम पूरा करने में दो-तीन दिन लग जायेंगे। इन चन्द दिनों तक जब तक नियम नहीं बन जाते, हमें अपना काम जारी रखना है। इसलिए यह वांछनीय है कि हम किसी व्यवस्था का सहारा लें। उसके लिये सरलतम उपाय यह है कि हम धारा-सभा के सारे नियम और स्थायी आज्ञाओं को अपना लें; पर ज्यों का त्यों नहीं, क्योंकि इससे काफी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हम उन्हें मंजूर कर लें और सभापति को अधिकार दे दें कि वह अवसर के अनुकूल यदि आवश्यक समझे, तो उसमें परिवर्तन कर लें।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्या माननीय प्रस्तावक प्रस्ताव के इन शब्दों को-'जो सभापति उचित समझें'——क्या स्पष्ट कर देंगे? मैं समझता हूं यहां स्थायी सभापति से मतलब है।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** मतलब है, उस समय जो भी सभापतित्व करता हो।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): बहुत अच्छा।

***माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पन्त** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब माननीय सदस्य, यदि संशोधन या सुझाव हों, तो पेश कर सकते हैं।

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसा : जनरल): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्या मैं यह जान सकता हूं कि आया सदस्य महोदय संशोधन पेश करने जा रहे हैं?

***श्री विश्वनाथ दास:** प्रस्ताव की रचना में मुझे कुछ कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं। मैं चाहता हूं कि प्रस्तावक स्थिति पर गौर करें और विचारें कि क्या प्रस्ताव को वापस ले लेना सम्भव या वांछनीय नहीं है?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्षमा कीजिये, मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या कहा।

***श्री विश्वनाथ दास:** प्रस्ताव की असली सूरत में मुझे कुछ कठिनाइयां नजर आ रही हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि आप प्रस्ताव का, जिस सूरत में वह रखा गया है, विरोध करते हैं।

***श्री विश्वनाथ दास:** हां।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): यानी आप प्रस्ताव नहीं चाहते? आशा है प्रस्तावक महोदय इसे समझेंगे। पं. नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव को अमली रूप देने में वक्ता को कुछ कठिनाइयां दिखाई पड़ रही हैं। इससे वे इसका विरोध करते हैं, यद्यपि वह 'विरोध' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

***श्री विश्वनाथ दास:** खेद है कि मुझे एक ऐसा कार्यभार लेना है, जिसका मैं अभ्यस्त नहीं हूं इस सम्बन्ध में क्या मुझे यह बताने की जरूरत है कि वर्किंग कमेटी और पं. नेहरू द्वारा प्रदर्शित पथ का मैं सदा ही नीरव समर्थक रहा हूं? पर मुझे इस प्रस्ताव को अमली रूप देने में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। प्रस्ताव दो या तीन बातें कहता है। पहली बात तो वह यह कहता है कि ''ऐसे परिवर्तनों

के साथ जो सभापति जरूरी समझें'' फिर प्रस्ताव कहता है ''केन्द्रीय धारा सभा के नियम अमल में लाए जायें''। सभापति जी, नियम निर्मातृ-समिति शीघ्र ही बनने जा रही है। मैं समझता हूं नियम बनें और सभा के सामने आयें, इसमें ज्यादा से ज्यादा तीन दिन लगेंगे। उम्मीद है कि इस बीच हम कोई महत्त्वपूर्ण काम न करेंगे। इसलिए इस अस्थायी प्रस्ताव से कुछ विशेष लाभ न होगा और इसे लागू करने में भी तरह-तरह की दिक्कतें पेश होंगी।

दूसरे, सभापति महोदय, प्रस्ताव में बहुत कुछ सभापति की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। मैं अपने नेता से अपील करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या यह ठीक न होगा कि तीन दिनों तक सभा का कार्य संचालन सभापति पर छोड़ दिया जाये। बाद में नियम बन कर सभा के सामने आ जायेंगे। मेरा सुझाव है कि इस बीच में यदि सभा कोई काम करना चाहे तो कार्य संचालन बिल्कुल सभापति पर छोड़ दिया जाये, जैसा प्रस्ताव में कहा गया है।

तीसरे, केन्द्रीय धारा सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं को जानना हमारे लिए कठिन है। मैं खुद नहीं जानता और मेरा ख्याल है बहुत से सदस्य ऐसे हैं जिन्हें इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं हैं। सभी प्रातों में ये एक से नहीं हैं; आवश्यक मामलों में भी इनमें प्रांत-प्रांत में भेद है। केन्द्रीय धारा सभा के नियमों को जानने में सदस्यों को दो-तीन दिन लग जायेंगे। सदस्यों को इस कठिनाई में डालने के बजाय मेरी समझ में यह बेहतर होगा कि तब तक के लिए जब तक अपने नियम नहीं बन जाते, सभा का यदि कोई काम हो तो उसे सभापति पर छोड़ दिया जाये।

सभापति जी, इसके अलावा सभा के 220 सदस्यों को केन्द्रीय धारा सभा के नियमों की एक-एक प्रति देनी होगी। मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय धारा सभा इतने कम समय में नियमों की इतनी प्रतियां दे सकेगी। इन कठिनाइयों को देखते हुए मुझे यकीन है कि इसमें कोई नुकसान न होगा, यदि पंडित जी प्रस्ताव वापस लेने पर राजी हो जायें और सब कुछ सभापति की मर्जी पर छोड़ दें, जैसा प्रस्ताव में भी है। मुझे और कुछ नहीं कहना है। सभापति जी, मुझे बहुत खेद है कि मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है—जैसा आप कहते हैं—यद्यपि में विरोध नहीं कर रहा हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): श्री विश्वनाथ दास को मैं सूचित कर दूं कि आप चाहे जो भी उपयुक्त शब्द इसके लिए समझें, प्रयुक्त करें; पर बहैसियत सभापति के इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं कि मैं आपके इस रुख को विरोध कहूं।

***श्री विश्वनाथ दास:** हो सकता है, पर विरोध की भावना से मैंने यह नहीं कहा है।

***श्री श्रीप्रकाश** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं माननीय पं. नेहरू द्वारा उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। यदि माननीय मित्र श्री विश्वनाथ दास केन्द्रीय धारा सभा के नियमों को पढ़ें तो देखेंगे कि वे बिलकुल दुरुस्त हैं। उन्हें और अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि हमारी समिति बैठेगी और अपना काम शुरू करेगी तो उसे मालूम होगा कि उसे केन्द्रीय धारा सभा के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सभापति जी, यदि मन्त्री केन्द्रीय धारा सभा के नियमों की एक-एक प्रति परिषद् के सदस्यों को वितरित कर दें—और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं है—तो श्री विश्वनाथ दास और दूसरे सदस्य भी यह देखेंगे कि जो नियम केन्द्रीय धारा सभा के लिए उपयुक्त हैं, वे हमारे लिए भी उपयुक्त हैं। मेरी समझ में यह महज वक्त की बर्बादी होगी कि हम नियम बनाने के लिए सभा का काम स्थगित करें। सभापति जी, मैं नहीं समझता कि बहैसियत अस्थायी सभापति आप यह पायें कि केन्द्रीय धारा सभा के नियम, परिषद् के बहस-मुबाहसे के सिलसिले में जो भी उलझनें सम्भव हैं, उनके लिए काफी नहीं हैं मैं माननीय मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मुझे तो यह जानने की ज्यादा फिक्र है कि श्री विश्वनाथ दास का कोई समर्थन कर रहा है या नहीं। *(हंसी)* मुझे तो प्रश्न के इस वैधानिक पहलू की फिक्र है कि श्री विश्वनाथ दास के मन्तव्य का किसी ने समर्थन भी नहीं किया। मेरी समझ में सभा का सब बहुमत इसी पक्ष में है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव मंजूर किया जाये।

***श्री एन.वी. गाडगिल** (बम्बई : जनरल): मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि परिषद् के सभी सदस्यों को केन्द्रीय धारा सभा के नियमों की एक-एक प्रति दी जाये।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मुझे नहीं मालूम है कि इतनी प्रतियां प्राप्य हैं या नहीं। हो सकता है कि न प्राप्य हों, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी कर सकूं।

अब मैं पंडित नेहरू के प्रस्ताव पर मत लेता हूं। मैं इसे स्वीकृत घोषित करता हूं।

अब मैं पंडित नेहरू से अनुरोध करूंगा कि वे प्रस्ताव नं. 6 को उपस्थित करें।

विधान-परिषद् कार्यालय के वर्तमान संगठन की स्वीकृति

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं:

> ''यह सभा विधान-परिषद् का अन्तिम निर्णय होने की अवधि तक विधान-परिषद् कार्यालय के वर्तमान संगठन को मंजूर करती है।''

सभा को शायद यह मालूम है कि गत कई महीनों से विधान-परिषद् का कार्यालय काम कर रहा है और हमारे पहले यानी इस सभा के समवेत होने के पहले जो कुछ हो चुका है, उसको इसी ने संगठन किया था। इसका बहुत कुछ काम तो नेपथ्य में ही हुआ है और सभा के समवेत होने के पूर्व के जो कठिन काम इस कार्यालय ने किये हैं, उनका अनुमान शायद कम ही सदस्यों को होगा। जो भी हो, जब तक यह सभा कुछ अन्य निर्णय नहीं करती, इस कार्यालय को जारी रखना है। किसी न किसी तरह का कार्यालय तो सभा को रखना ही है। सभा वर्तमान कार्यालय को ही जारी रख सकती है, चाहे तो इसे बढ़ा या इसमें रद्दोबदल कर सकती है, पर कार्यालय को तो जारी रखना ही होगा। मेरा प्रस्ताव एक तरह से इस कार्यालय के संगठन को तब तक के लिए, जब तक सभा अन्य निर्णय न करे, वैधानिक रूप देता है। सभापति जी, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्या इस प्रस्ताव का समर्थन हो रहा है?

***माननीय श्री एम. आसफअली** (दिल्ली): पंडित नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने में मुझे बड़ी खुशी है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आपका मत लेने के लिए प्रस्ताव रखने में मुझे भी बड़ी खुशी है। *(हंसी)* क्या बिना हंसाये मैं कुछ भी आपके सामने नहीं कह सकता? *(और हंसी)* पं. नेहरू, आपके कथन के समर्थन में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन चंद दिनों में, जबसे मुझे सर बी.एन. राव के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, मैंने उनसे हर तरह की सम्भव मदद पाई है और मुझे विश्वास है कि मेरे उत्तराधिकारी को भी वे अपनी बहुमूल्य सहायता

देते रहेंगे मैं प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित करता हूं।

अब आचार्य कृपलानी सातवां प्रस्ताव उपस्थित करेंगे।

कार्य संचालनार्थ नियम-निर्मातृ-समिति की स्थापना

***आचार्य जे.बी. कृपलानी** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, हम यहां एकत्र तो हुए हैं पर कार्य संचालन के लिए हमारे पास नियमादि नहीं हैं। इसीलिए पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रथम प्रस्ताव पेश किया, ताकि उस अवधि तक जब तक हम अपने नियम नहीं बना लेते, उन्हीं से काम लें। हम अपनी तजवीजों के बहस-मुबाहिसे के सिलसिले में उन्हीं नियमों से काम लें, जो केन्द्रीय धारा सभा के कार्य संचालन में बरते जाते हैं। इन नियमों पर काफी विचार करने की जरूरत है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक समिति बना दी जाये; अत: यह प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं।

''यह सभा निश्चय करती है कि:

(1) सभापति और 15 सदस्यों की एक समिति निम्नलिखित विषयों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए बना दी जाये।

(क) सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि''

जो प्रति आपको मिली है, उसमें आप 'सेक्शन्स और समितियां' शब्द भी पायेंगे। सेक्शन्स और समितियां सभा के ही अंग हैं और इसलिए मुझे ये शब्द अनावश्यक मालूम पड़े। इसी आधार पर मैंने ये शब्द हटा दिये हैं—

''(क) सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि।

(ख) सभापति के अधिकार।

(ग) सभा के कार्य का संगठन, जिसमें नियुक्तियों तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।

(घ) सभा के रिक्त स्थानों की घोषणा तथा उनकी पूर्ति की व्यवस्था।

[आचार्य जे.बी. कृपलानी]

(2) परिषद् के सभापति ही इस समिति के सभापति होंगे।

(3) समिति के सदस्य सूची में दिये हुए तरीकों के मुताबिक चुने जायें।

(4) इस मामले में समिति का निर्णय होने तक सभापति ही निम्नलिखित बातें तय करेंगे:

(क) सभा के सदस्यों का भत्ता नियत करना।

(ख) केन्द्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों का, जिनकी सेवाएं परिषद् के काम में ली जायेंगी, वेतन और भत्ता, सम्बन्धित हुकूमतों के परामर्श से नियत करना।

(ग) विधान-परिषद् के काम के लिए जो लोग नियुक्त किये जायेंगे उनका वेतन और भत्ता नियत करना।

सूची

(1) समिति के सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एकाकी हस्तान्तरित मत की पद्धति द्वारा चुने जायेंगे। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय धारा सभा में जो नियम बरते जाते हैं, यथासम्भव उन्हीं के अनुकूल चुनाव किया जायेगा।

(2) समिति के सदस्यों का चुनाव करने के लिए (यदि यह आवश्यक हुआ) सभापति तारीख और समय निर्धारित तथा घोषित करेंगे।

(3) कोई भी सदस्य जो चुनाव के लिए किसी सदस्य या सदस्यों का नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं, इसकी सूचना दे सकते हैं। सदस्य परिषद् के मंत्री के नाम स्वहस्त लिखित सूचना अपने हस्ताक्षर सहित नोटिस आफिस में सभापति द्वारा नियत तारीख के दिन 12 बजे मध्याह्न तक दे सकते हैं। सूचना देने वाले सदस्य को यह पहले ही पक्का कर लेना होगा कि जिसका नाम वह प्रस्तावित करते हैं, वह (सज्जन) चुने जाने पर समिति में काम करने के लिए राजी हैं।''

इसके बाद मैंने एक दूसरा पैराग्राफ जोड़ दिया, जो यों है, यह पैरा जो कागज आपको दिया गया है उसमें नहीं है, पर बढ़ाया जा सकता है:

''सभापति द्वारा नियत किये हुए समय के अन्दर यदि कोई प्रस्तावित सदस्य अपना नाम वापस लेना चाहें, तो वे वापस ले सकते हैं।

(4) यदि नामजद सदस्यों की संख्या उन जगहों या सीटों से कम है, जिन्हें भरना है, तो सभापति और अवधि निर्धारित कर देंगे, जिसके भीतर उक्त सूचना (दवजपबम) दी जा सकती है और इसके बाद भी जब तक जगहों की संख्या के बराबर सदस्य नामजद नहीं हो जाते, सभापति इसके लिये और अवधि बढ़ा सकते हैं।

(5) यदि नामजद उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली जगहों के बराबर होगी तो सभापति सभी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर देंगे।

(6) यदि नामजद उम्मीदवारों की संख्या जगहों से ज्यादा हो तो नियम 1 के मुताबिक चुनाव होगा।

(7) इन नियमों के उद्देश्यों को सामने रखते हुए कोई भी सदस्य बाकायदा नामजद न समझा जायेगा और न वोट (मत) देने का अधिकारी माना जायेगा, अगर उसने या उसके प्रस्तावक ने परिषद् (Assembly) के रजिस्टर में बहैसियत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं किये हैं।''

***एक सदस्यः** इन नामजदगियों के लिए क्या किसी समर्थक की जरूरत नहीं है? यहां केवल प्रस्तावक या उम्मीदवार का ही नाम आया है।

***राय बहादुर श्यामनन्दन सहाय** (बिहार : जनरल): इन नियमों में जिनका प्रस्ताव अभी किया गया है, समर्थक नहीं रखा गया है। मैं इसका खुलासा करना चाहता था कि आया इन नामजदगियों के लिए समर्थक की जरूरत है या केवल प्रस्तावक से ही काम चल जायेगा।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): राय बहादुर श्याम नन्दन सहाय यह जानना चाहते हैं कि समिति के चुनाव के लिए जो नामजदगियां होंगी, उनके लिए केवल प्रस्तावक की आवश्यकता या समर्थक की भी?

***आचार्य जे.बी. कृपलानीः** जनाब, इसके लिए समर्थक जरूरी नहीं है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): बहुत अच्छा।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): सभापति जी, निवेदन करूंगा कि चुनाव की अर्जियों के फैसले के सिलसिले में एक जबरदस्त दोष रह गया है। जनाब, मेरी राय में जहां चुनाव को चैलेंज किया गया हो यानी उस पर वैधानिक आपत्ति की गई हो, ऐसे चुनाव की दरख्वास्तों को निबटाने के लिए परिषद् को एक ट्रिब्यूनल जरूर मुकर्रर कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, कल ही बलूचिस्तान

[श्री एच.वी. कामत]

के चुनाव पर आपत्ति की गयी थी। कल वह कार्यक्रम में था, पर ट्रिब्यूनल नियत करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं समझता हूं समिति इसके लिए कुछ नियम बनायेगी। मैं सलाह देता हूं कि उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव सम्बन्धी मामलों को निबटाने के लिए भी उन्हें नियम बगैरह बनाने जरूरी हैं।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी** (बंगाल : जनरल): क्या प्रस्तावक महोदय का यह अभिप्राय है कि ये नियम सेक्शनों पर भी लागू होंगे? मेरी राय में यहां 'सेक्शन' शब्द खोलकर लिख देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ खास सेक्शनों को लेकर कठिनाइयां हैं।

***डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी** (बंगाल : जनरल): डॉ. सुरेशचंद्र बनर्जी के मसविदे का मैं भी समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं इसे स्वीकार कर लेना ज्यादा सुरक्षा-मूलक है। यदि प्रस्तावक का यह अभिप्राय है कि नियम-निर्मातृ-समिति सेक्शनों (वर्गों) और समितियों के लिए भी नियम बनायेगी, तो यह 'वांछनीय है कि प्रस्ताव में साफ-साफ सेक्शन और समितियां भी सम्मिलित कर दी जायें, ताकि वह यों पढ़ा जाये, ''सेक्शनों और समितियों सहित सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि।''।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी आपको एक सुझाव दे रहे हैं कि आप कृपा कर इस स्थल पर एक शब्द और शामिल करने की बात स्वीकार कर लें।

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** मैं समझता हूं जनाब, कि ''सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि'' मैं सेक्शनों और समितियों के नियम भी आ जाते हैं और मैं नहीं समझता कि सभा के सम्मुख उपस्थित प्रस्ताव में यह अनावश्यक जोड़ क्यों किया जाये।

***डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी:** सभापतिजी, क्या मैं आपकी अनुमति से इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ''सेक्शनों और समितियों सहित'' का जोड़ा जाना यहां क्यों आवश्यक है? जब सेक्शनों की परिषदें बैठेंगी तो हो सकता है, वे कार्य संचालनार्थ अपना पृथक्-पृथक् नियम बनावें। उस समय यह प्रश्न उठ सकता है कि विधान-परिषद् को सेक्शनों के लिए कार्य संचालनार्थ नियमादि बनाने का अधिकार भी

है या नहीं? उस समय नियम-निर्मातृ-समिति को अधिकार प्रदान करने वाले इस प्रस्ताव का प्रसंग जरूर ही उठेगा और तब उसमें केवल यही जिक्र पाया जायेगा कि समिति केवल विधान-परिषद् के कार्य संचालनार्थ नियमादि बनाने के लिए नियुक्त की गयी थी। उस समय इस भाष्य का प्रश्न उपस्थित होगा कि आया इस नियम-निर्मातृ-समिति को सेक्शनों के लिए भी नियमादि बनाने का अधिकार है या नहीं? यदि आपका यह अभिप्राय है कि नियम-निर्मातृ-समिति सेक्शनों के लिए भी नियम बनायेगी, तो साफ-साफ यहां ''सेक्शनों और समितियों सहित'' क्यों नहीं जोड़ देते; ताकि जब सेक्शन अपना काम शुरू करें; तो उन्हें इस सम्बन्ध में कोई दुविधा न रह जाये।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): डॉ. मुकर्जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अभिप्राय को और स्पष्ट करने के लिए सुझाए हुए शब्दों को जोड़ लेने में आपको कोई आपत्ति है?

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** मैं समझता हूं कि सेक्शनों को अगर और अतिरिक्त नियमों की जरूरत हुई, तो यह निर्धारित कर दिया जायेगा कि सेक्शन कोई ऐसे नियम न बनायेंगे जो विधान-परिषद् के नियमों से असामंजस्य रखते हों। सभापति महोदय, मेरा मलतब है कि नियम-निर्मातृ-समिति व्यापक ढंग के नियम बनायेगी जो सेक्शनों और समितियों पर भी लागू होंगे। यदि कोई समिति या सेक्शन को और नियमों की जरूरत है तो वह अपना स्वयं बना लेगा पर प्रतिबंध यही रहेगा कि उसके बनाये नियम विधान-परिषद् के बनाये नियमों से बेमेल न होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव का यह हिस्सा ज्यों का त्यों रहे।

***सरदार हरनाम सिंह** (पंजाब : सिख): सभापति जी, आचार्य कृपलानी द्वारा उपस्थित किये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे सभा के सामने दो बातें कहनी हैं। एक तो प्रस्ताव के पैरा 1(क) के सम्बन्ध में है। मैं डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी से पूर्ण सहमत हूं कि पैरा 1(क) में बजाय ''सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि'' के यों हों ''सभा, सेक्शनों और समितियों के कार्य संचालनार्थ नियमादि'' यह मेरा पहला सुझाव है। कैबिनेट मिशन ने अपने स्पष्टीकरण में सेक्शनों का जिक्र हमेशा विधान-परिषद् के सेक्शनों के नाम से ही किया है। अत: मेरा मत है कि नियम

[सरदार हरनाम सिंह]

सम्बन्धी पैरा 1(क) यों पढ़ा जाये ''सभा, सेक्शनों और समितियों के कार्य संचालनार्थ नियमादि''।

एक बात और है। प्रस्ताव पेश करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा है कि ''सेक्शनों और समितियों'' का जोड़ना अनावश्यक है और इसलिए वे इसके निकाल देने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि सभा के कार्य संचालनार्थ जो नियम प्रस्तावित हैं उनमें सेक्शनों और समितियों के नियम भी शामिल हैं। इस प्रारम्भिक बैठक में आप जो समितियां बनायेंगे, उनमें एक परामर्शदातृ-समिति (Advisory Committee) भी होगी, जो उन चंद खास बातों के लिए होगी जिनका ब्यौरा कैबिनेट मिशन की योजना के पैराग्राफ 20 में है।

कैबिनेट मिशन ने यह साफ-साफ कहा है कि परामर्शदातृ-समिति (एडवाइजरी कमेटी) में सभी अल्पसंख्यकों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एडवाइजरी कमेटी के कार्य संचालन के लिए नियमों का निर्माण जब एक ऐसी समिति करेगी जिसको यह सभा सूची के पैराग्राफ 1 के अनुसार चुनेगी, तो मुझे संदेह है कि उन नियमों के निर्माण में जिनके अनुसार एडवाइजरी कमेटी का कार्य संचालित होगा; अल्पसंख्यकों की कोई आवाज न होगी। इसलिए मेरा दूसरा सुझाव है कि सूची का पैरा 1 इस तरह हो ''समिति के 10 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एकाकी हस्तान्तरित मतपद्धति से चुने जायें।'' मैं एक दूसरा पैरा भी जोड़ना चाहता हूं, जो यों हो ''बाकी 5 सदस्य परिषद् के सभापति द्वारा मनोनीत किये जायें ताकि आवश्यक अल्पसंख्यकों को समिति में यथेष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकें।'' अन्यथा मुझे डर है कि एडवाइजरी कमेटी का काम इस ढंग पर होगा जो सभा के एक आवश्यक वर्ग (अल्पसंख्यक) के हितों के प्रतिकूल होगा। ये मेरे दो सुझाव हैं कि सूची का पैरा 1 उपरोक्त ढंग से संशोधित हो जाये, सूची में एक दूसरा और पैरा बढ़ा दिया जाये और इस तरह सूची में बजाय सात के आठ पैराग्राफ हों।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, मैं श्री सुरेशचंद्र बनर्जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसका समर्थन डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी कर चुके हैं हाउस ऑफ कामन्स के शब्दों में इस परिषद् के काम में सेक्शनों और समितियों का काम भी स्वयं शामिल है; अतः यदि यहां ''सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि'' इतना ही रहा तो भी सेक्शनों और समितियों के जिक्र की जरूरत नहीं है। इसमें सन्देह नहीं है, पर साथ ही इस

सम्बन्ध में स्टेट पेपर में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। अत: सभापति महोदय, यहां ''सेक्शनों और समितियों'' का न जोड़ना बुद्धिमत्ता से खाली होगा, क्योंकि इससे यह जाहिर होगा कि विधान-परिषद् सर्वसत्ता सम्पन्न नहीं है। जिस बात पर हम जोर देते हैं उस हालत में हमारे सामने यह तर्क पेश किया जा सकता है कि इसका कोई भाग, सेक्शन या समिति खुदमुख्तारी से काम कर सकती है और अपना विधान बना सकती है। स्वयं आचार्य कृपलानी ने कहा है कि यदि हम इस प्रस्ताव को ज्यों का ज्यों रहने दें तो हम ऐसे रूल या नियम बनायेंगे जिनसे सेक्शनों या समितियों को ऐसे नियम बनाने का अधिकार न होगा, जो इस समिति द्वारा बनाये नियमों के प्रतिकूल या असंगत हो। यह तर्क स्वयं यह प्रकट करता है कि इस प्रोसीज्योर कमेटी को अख्तियार है कि कुछ हद तक वह सेक्शनों और समितियों के कार्य संचालन-पद्धति को नियंत्रित रखे। जो बहस-मुबाहिसा यहां हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए यह बेहतर है कि ''सेक्शन और समितियों'' रखा जाये बजाय इसके कि इन शब्दों की अनुपस्थिति में इस प्रस्ताव के अर्थ पर पुन: आगे बहस खड़ी हो। मुझे एक पाइन्ट ऑफ आर्डर की मुश्किल दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि प्रोसीज्योर कमेटी सेक्शनों के प्रश्न पर विचार करती है या कोई नियम बनाती है, जैसा आचार्य कृपलानी चाहते हैं, तो निश्चय ही यह पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया जायेगा कि आया ''एसेम्बली'' शब्द में सेक्शन और समितियां भी शामिल हैं या नहीं। उस समय प्रोसीज्योर कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन को इस पर रूलिंग देनी होगी। यह ज्यादा अच्छा है कि यह प्रश्न प्रोसीज्योर कमेटी के चेयरमैन पर न छोड़ा जाये जो सम्भव है स्थायी सभापति ही हों। इस सभा को यहां यह बात साफ-साफ निर्धारित कर देनी चाहिए कि विधान-परिषद् एक और अविभाज्य है। सेक्शन जिनका जिक्र किया गया है वे इस एसेम्बली के ही सेक्शन हैं; और ये सेक्शन स्वतंत्र संस्था नहीं है कि अपने कार्य संचालन के लिए ऐसे नियम बनावे जो परिषद् के नियमों से बेमेल हों। अत: मैं अर्ज करता हूं कि यह बहुत जरूरी है और इसी समय जब कि यह प्रश्न सभा के सामने उठाया गया है कि इस प्रस्ताव की सीमा और क्षमता सभा के सेक्शनों और समिति सहित इन शब्दों को जोड़कर स्पष्ट कर दी जाये ''सभा के कार्य संचालनार्थ, जिसमें इसके सेक्शन और समितियां भी शामिल हैं नियमादि''।

***माननीय श्री बसन्त कुमार दास** (आसाम : जनरल): सभापति महोदय मैं जो कहना चाहता था उसमें से बहुत कुछ श्री मुंशी ने कह दिया। मैं यहां इस

[माननीय श्री बसन्त कुमार दास]

बुनियादी सवाल पर कि आया विधान-परिषद् को सेक्शनों और एडवाइजरी कमेटियों के कामों की जांच-पड़ताल करने का हक है या नहीं, एक पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाना चाहता हूं। प्रस्ताव की सीमा के अन्दर सेक्शनों और समितियों को सम्मिलित करने वाले संशोधन में जो सिद्धान्त सन्निहित है उसे देखते हुए यह आवश्यक है। सेक्शनों और एडवाइजरी कमेटियों को अलग-अलग काम दिये गये हैं। सेक्शन गुट (ग्रुप) और प्रान्त दोनों का ही विधान बनायेगा। अल्पसंख्यकों के हित कैसे सुरक्षित रहेंगे और Excluded areas के नाम से परिचित क्षेत्रों की शासन व्यवस्था की क्या योजना होगी, इन बातों को ध्यान में रख कर एडवाइजरी कमेटी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बाबत परामर्श देगी। सेक्शन और एडवाइजरी कमेटियां चाहे जो भी करें, उसमें वे कह सकते हैं कि विधान-परिषद् एवं उसके प्रारम्भिक अधिवेशन को कोई हक नहीं है कि उनके कामों की जांच-पड़ताल करें। इसलिए जनाब, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रश्न पर अपनी रूलिंग (निर्णय) दें कि सेक्शनों और एडवाइजरी कमेटियों के कामों में आदेश देने या उनकी जांच-पड़ताल करने का कितना अधिकार इस एसेम्बली को होगा। अतः सभापति जी, पेश्तर इसके कि प्रस्ताव पेश हो तथा प्रस्ताव और संशोधनों के सम्बन्ध में उठाये हुए प्रश्नों पर आगे बहस हो, मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस पर अपनी रूलिंग दें।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मेरी यह इच्छा नहीं है कि मेरी रूलिंग फेडरल कोर्ट तक घसीटी जाये। इसलिए बजाय रूलिंग देने के, जो मैं नहीं चाहता, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित करूंगा कि इस पर वे अपने विचार व्यक्त करें।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, यह तो महज एक रस्मी तजबीज समझी गयी थी। पर बहस-मुबाहिसे के रुख से मालूम पड़ता है कि सदस्यों के दिमाग में कुछ गलतफहमियां हैं। कुछ लोग इस पर कड़ी राय रखते हैं इसमें शक नहीं कि सेक्शनों में जो कुछ किया जायेगा उस पर यह सभा विचार करेगी। मेरी समझ में असली मसविदा बहुत दुरुस्त था पर जब मसला संशोधन की शक्ल में आ गया, तब जरूर ही यह एक जुदा चीज हो जाती है। इसका विरोध किया जा रहा है और एक संशोधन स्वीकार करने को कहा जा रहा है। अगर सभा के विचारों की यह तस्वीर है, इससे तो

आप जाहिर है कि कमेटी को पूरा हक है कि वह सारी बातों पर सोच-समझ कर काम करे। इस हालत में संशोधन मौलिक प्रस्ताव के प्रतिकूल है। अब आसाम के एक सदस्य ने एडवाइजरी कमेटी का भी जिक्र कर दिया। यह साफ है कि एडवाइजरी कमेटी को विधान-परिषद् के सामने अपनी रिपोर्ट देनी है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं नहीं समझता कि सभा के किसी भी सदस्य को इस पर कोई सन्देह होगा और मैं तो यह मानता हूं कि इस सभा की सभी समितियां सभा को अपनी रिपोर्ट देंगी। इसलिए मैं तो माननीय सदस्य को यही सुझाव दूंगा कि जब खास मसले पर सभा एकमत है, तो यह समय बिलकुल इसके लिये उपयुक्त नहीं है कि हम इस मसले के सब पहलुओं पर विचार करें। अतः मैं तो प्रस्तावक महोदय आचार्य कृपलानी को यह सुझाव दूंगा कि वे उपस्थित संशोधन को मंजूर कर लें।

***आचार्य जे.बी. कृपलानीः** मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री आर.वी. धुलेकर (संयुक्तप्रांत : जनरल)ः सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि संशोधन में।

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा)ः क्या मैं माननीय सदस्य से यह पूछ सकता हूं कि क्या वह अंग्रेजी नहीं जानते?

श्री आर.वी. धुलेकरः मैं अंग्रेजी जानता हूं पर हिन्दुस्तानी में बोलना चाहता हूं।

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा)ः बहुतेरे सदस्य हिन्दुस्तानी नहीं जानते। उदाहरण के लिए श्री राजागोपालाचार्य को ही लीजिए।

श्री आर.वी. धुलेकरः जो हिन्दुस्तानी नहीं जानते, उन्हें हिन्दुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। जो लोग यहां भारत का विधान निर्माण करने आये हैं और हिन्दुस्तानी नहीं जानते हैं, वे इस सभा के सदस्य होने योग्य नहीं हैं। अच्छा हो वे सभा से चले जायें।

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा)ः कृपया आप जो कहना चाहते हैं वह कहिए।

श्री आर.वी. धुलेकरः मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोसीज्योर कमेटी अपने सारे नियम हिन्दुस्तानी भाषा में बनाये और फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो।

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आर्डर, आर्डर, Bi-lingualism के प्रश्न पर और सभा के कागजात दो या ज्यादा जुबानों में छपें, इस पर सभा के सामने बोलने की अनुमति आपको नहीं है। आप एकदम कायदे के खिलाफ हैं। आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव पर पेश संशोधन पर आप बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री आर.वी. धुलेकरः मेरा यह संशोधन है कि प्रोसीज्योर कमेटी अपने नियम हिन्दुस्तानी में बनाये। फिर उनका अनुवाद अंग्रेजी में हो। जब कोई सदस्य नियम पर बहस करेंगे तो वे उसका हिन्दुस्तानी रूप पढ़ेंगे और उसी के आधार पर फैसला चाहेंगे। अंग्रेजी रूप के आधार पर नहीं। मुझे खेद है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आर्डर, आर्डर!

श्री आर.वी. धुलेकरः मैं आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव पर संशोधन पेश कर रहा हूं। सभा का सदस्य होने के नाते मुझे इसका अधिकार है। मैं संशोधन रखता हूं कि प्रोसीज्योर कमेटी अपने सब नियम हिन्दुस्तानी में बनाये और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो। भारतीय होने के नाते मैं अपील करता हूं कि हम लोगों को और उन लोगों को जो देश को आजाद करने पर तुले हैं और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी भाषा में सोचना और बोलना चाहिए। हम अरसे से अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और हाउस ऑफ कामन्स की चर्चा कर रहे हैं। इसने मेरे सिर में दर्द पैदा कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि भारतीय अपनी भाषा में क्यों नहीं बोलते। मैं भारतीय हूं और यह महसूस करता हूं कि सभा की कार्रवाई हिन्दुस्तानी भाषा में होनी चाहिए। दुनिया के इतिहास से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे पास अपने लाखों वर्ष के प्राचीन देश का इतिहास है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आर्डर, आर्डर।

श्री आर.वी. धुलेकरः मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे संशोधन पेश करने की अनुमति दी जाये।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आर्डर, आर्डर। मैं आपको आगे बोलने की इजाजत नहीं देता। सभा मुझसे पूर्ण सहमत है कि आप कायदे के बाहर हैं।

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** मैं अर्ज करता हूं कि यदि सुझाव मंजूर कर लेने से सभा का बहस-मुबाहिसा कम हो जाता हो तो मैं उसे मंजूर कर लूंगा।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर** (बम्बई : जनरल): इस प्रस्ताव पर मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं। मुझे पक्का मालूम नहीं है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सभा अति सतर्कता-मूलक न समझेगी, पर आपके सामने चन्द बातें कहने के लिए मजबूर हूं और मैं चाहता हूं कि इन पर पूरा गौर करें। ये चंद बातें ''सेक्शनों और समितियों'' का स्पष्ट उल्लेख हो, इसके विरुद्ध हैं। अवश्य ही मेरा यह विचार सतर्कता से प्रेरित है और मैं समझता हूं कि इस समय सतर्कता वांछनीय भी है। 'सेक्शन' शब्द को याद रखें। आपसे यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि आप सेक्शन के संगठन के पहले ही उनके लिए नियम (कानून) बना दें। यह भी याद रखें कि 'सेक्शनों' में 'बी' और 'सी' सेक्शन्स भी शामिल हैं। यह भी याद रखें कि 'बी' और 'सी' सेक्शनों में इस बात की सम्भावना है, बल्कि यह निश्चित है कि एक दल विशेष के आदमियों का बाहुल्य होगा जो आज उपस्थित नहीं है, पर उस समय मौजूद हो सकते हैं जब सेक्शनों का काम शुरू हो। उस दल के लोग अगर विरोध नहीं तो सन्देह की भावना से आज यहां अनुपस्थित हैं। क्या आप अभी उनके लिए यहां पहले ही से नियमादि बना देना चाहते हैं? आप इस मसले को फिलहाल यहीं न रहने देंगे, यानी चूंकि 'एसेम्बली' शब्द में कानूनी रूप से 'सेक्शन' खुद शामिल है। कोई भी सेक्शन 'ए' या 'बी' अथवा 'सी' ऐसे नियम नहीं बना सकता जो एसेम्बली के निर्मित नियमों से प्रतिकूल हों, यही आम वैधानिक रास्ता होगा। इस मसले को यही रहने दें। क्या आप आगे बढ़कर सेक्शनों का स्पष्ट उल्लेख कर इस बात पर रगड़ा करेंगे? इससे यही जाहिर होगा कि हम उस दल की गैरहाजिरी में सेक्शनस का स्पष्ट उल्लेख करके उनके लिए यह लाजमी कर देना चाहते हैं कि एसेम्बली द्वारा बनाये नियम सेक्शनों पर लागू होंगे? इस तरह का रगड़ा बिलकुल अनावश्यक हैं, क्योंकि कानूनी रूप से एसेम्बली के नियमों में सेक्शनों के नियम भी शामिल हैं। यह याद रखें कि इस दल के लोग आज मौजूद नहीं हैं और इसके अलावा वे आपकी कार्रवाई को सन्देह और ईर्ष्या से देख रहे हैं। वे इस ताक में हैं कि कहीं आप उनके हाथ से कुछ छीन तो नहीं रहे हैं, उनके यहां आने के

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

पहले ही आखिरी फैसला तो नहीं कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या इस बात में बाधा न पड़ेगी कि वे यहां मैत्री और विश्वास के वातावरण में आवें? इसलिए मेरा सुझाव है कि बजाय 'सेक्शनों और समितियों' का स्पष्ट उल्लेख करने के आचार्य कृपलानी के असली प्रस्ताव को ज्यों का त्यों मंजूर कर लिया जाये।

***श्री देवीप्रसाद खेतान** (बंगाल : जनरल): सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने की मेरी इच्छा न थी, पर संशोधन के सिलसिले में श्री मुंशी ने कहा है कि इसमें ''इसके'' जोड़ दिया जाये, इस बात को तथा आदरणीय मित्र डॉ. जयकर के भाषण को मद्देनजर रख मुझे चंद शब्द कहने की इच्छा हुई। पहले मैं श्री मुंशी के इस सुझाव पर कि संशोधन में 'इसके' जोड़ा जाये विचार करूंगा। आशा है, संशोधन को रखने वाले माननीय सदस्य डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी इस सुझाव को स्वीकार न करेंगे। प्रस्ताव में 'इसके' के जोड़े जाने से एक ऐसा अर्थ निकलने लगेगा जो न तो आचार्य कृपलानी का ही अभिप्राय है और न डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी का। इससे यह अर्थ लग सकता है कि 'इसके' शब्द से केवल एसेम्बली द्वारा नियुक्त समिति का ही मतलब है न कि सेक्शनों द्वारा नियत समितियों का। अत: सभापति जी, मेरा सुझाव है कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी द्वारा उपस्थित ''सभा, सेक्शन और समितियों सहित'' के संशोधन को सभा मंजूर करे।

डॉ. जयकर द्वारा व्यक्त आशंका के संबंध में मैं यही कहूंगा, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी ने समझाया है कि यह परिषद् एक ऐसी संस्था है, जिसे न सिर्फ यूनियन कान्स्टीट्यूऐंट एसेम्बली के कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है, बल्कि इसके द्वारा निर्मित सभी समितियों तथा सेक्शनों के कार्य संचालनार्थ नियम बनाने का भी अधिकार है। मुझे इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि चाहे किसी दल के लोग यहां उपस्थित हों या नहीं, इस सभा को अपना सारा काम करते जाना है। यह दल इसमें शामिल होने का फैसला करता है या नहीं, इस प्रश्न की अपेक्षा न कर हमें अपना काम करना है। और मुझे अवश्य ही इस बात की आशा है कि ज्यो-ज्यों समय बीतता है, यह दल इस बात को आवश्यक या ठीक समझेगा कि उसे इस सभा में शामिल होकर एवं देश का विधान कैसा बने, इसमें हमें परामर्श देकर समस्त देश के हितों की सेवा करनी चाहिए। मैं अपना विचार फिर दुहराता हूं कि जब तक यह दल शामिल

नहीं है, हमें सारे मुल्क के हितों को ध्यान में रख अपना काम करते जाना है। अतः मुझे आशा है कि आप कोई भय न अनुभव करेंगे और न प्रकट करेंगे और पेचीदगी से बचने के लिए प्रस्ताव में ''सेक्शन्स और समितियां'' हम जोड़ लेंगे। आशा है समूची सभा इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

***श्री एस.एच. प्रेटर** (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, डॉ. एम.आर. जयकर ने जो कुछ भी कहा है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं यह अनुभव करता हूं कि यह सभा कार्य संचालन के लिए जनरल रूल तो बनावे पर इस जगह सेक्शनों के नियमों में न हस्तक्षेप करे न उन्हें बनावे ही। ऐसा करने का क्या अर्थ होगा, इसे डॉ. जयकर ने बताया है और उनकी बात मानना अच्छी राजनीति होगी। यह काम तो हम सब करना ही चाहते हैं, पर इस समय नहीं। इसलिए आचार्य कृपलानी के असली प्रस्ताव का मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

***श्री शरतचन्द्र बोस** (बंगाल : जनरल): सभापति महोदय, मेरा ख्याल है कि यदि डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी का सुझाव जिसका डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने समर्थन किया है, प्रस्ताव में शामिल कर दिया जाये तो इससे बात और साफ हो जायेगी।

***एक सदस्यः** क्या ये शब्द ''इसके सेक्शनों और समितियों सहित''?

***एक अन्य सदस्यः** 'इसके' नहीं।

***श्री शरतचन्द्र बोसः** 'इसके' शब्द से कोई अच्छाई नहीं आती। मैं पूर्ण सहमत हूं यदि ''सेक्शनों और समितियों सहित'' प्रस्ताव में जोड़ दिया जाये। प्रस्ताव पेश करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा है कि उनका यही अभिप्राय है कि एसेम्बली के कार्य संचालक नियम सेक्शनों और समितियों पर भी लागू होंगे। पर चूंकि सभा के कई सदस्यों ने इस बात पर पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है कि आया ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं, मैं समझता हूं कि यदि ये शब्द शामिल कर लिए जायें तो इससे भविष्य के सारे झगड़े तय हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान डॉ. जयकर के कथन की ओर ले जाऊंगा। मैं नहीं समझता कि अगर एसेम्बली ने ऐसे नियम बनाये जो इसके कार्य संचालन के साथ ही सेक्शनों और समितियों की भी कार्य-पद्धति पर लागू हों, तो इसमें भविष्य में कोई विवाद खड़ा होगा। बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि इससे बहुतेरे झगड़े पहले ही से सुलझ

[श्री शरतचन्द्र बोस]

जायेंगे। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता कि अगर हम यही समझते हैं कि आगे इस एसेम्बली और सेक्शनों में विवाद उत्पन्न होगा तो बेहतर है कि ''सेक्शनों और समितियों'' जोड़ कर हम झगड़े को यही दफना दें।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं समझता हूं कि इस प्रसंग पर हम काफी लम्बी बहस कर चुके।

***माननीय श्री बी.जी. खेर** (बम्बई : जनरल): सभापति जी, मुझे एक सुझाव देना है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आशा है कि माननीय सदस्य का सुझाव एक लम्बे भाषण के साथ न होगा।

***माननीय श्री बी.जी. खेर:** मैं भाषण देने के लिए जरा भी इच्छुक नहीं हूं। इस सभा के दिमाग में या बाहरी दुनिया के दिमाग में हमें जरा भी इस बात का शक न रहने देना चाहिए कि यह सभा जहां तक इसके सेक्शनों और उनकी कार्य-पद्धति का सम्बन्ध है, अधिकार सम्पन्न है। इस बहस और व्यक्त की हुई आशंकाओं के बाद ''सेक्शनों और समितियों'' को न जोड़ना राजनीतिज्ञता के प्रतिकूल होगा। हमें आज इस बात का निश्चय नहीं है कि आया सेक्शन शामिल होंगे या अलग रहेंगे। इस स्थिति से निकलने का यही अच्छा उपाय होगा कि ''सम्मिलित करने के अधिकार के साथ'' इतना और जोड़ दें ताकि जब दूसरे लोग आयें और ये नियम उन्हें नामंजूर हों, या इनमें कोई संशोधन आवश्यक हो जाये अथवा कोई सुझाव पेश हो जाये, तो उन्हें संशोधित करना सम्भव रहे। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो समिति हम बनाने जा रहे हैं उसे और सदस्य सम्मिलित करने का अधिकार दे दें, ताकि वे समय-समय पर संशोधन या परिवर्तन का सुझाव दे सकें जो बाद में इस सभा द्वारा स्वीकृत, अस्वीकृत या संशोधित हो। अत: मेरी समझ में फिलहाल डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के संशोधन को ''सम्मिलित करने के अधिकार के साथ'' इतना जोड़कर हमें प्रस्ताव मंजूर कर लेना चाहिए। यदि ऐसा किया गया, तो मैं समझता हूं कि परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं को हम और अच्छी तरह पूरा कर सकेंगे।

***श्री जयरामदास दौलतराम** (सिंध : जनरल): मैं वाद-विवाद की वर्तमान हालत में सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जो कुछ कहना है बहुत संक्षेप में कहूंगा। मेरी राय में हर आदमी को इस पर दृढ़ रहना चाहिए कि यह विधान-

परिषद् सर्वसत्ता-सम्पन्न है। मैं नहीं समझता कि यह बुद्धिमानी की बात होगी कि हम सिर्फ ''एसेम्बली'' शब्द ही रखें और इस बात को भाष्य के लिए छोड़ें कि सेक्शनों और समितियों को भी शामिल करने का हमारा अभिप्राय था। 'अभिप्राय' और 'भाष्य' ये दोनों ही, जैसा अनुभवों ने बताया है, खतरनाक हैं। हमें हर बात को जहां तक हो सके साफ कर देना चाहिए। साथ ही अपने अनुपस्थित मित्रों के बाद में शामिल होने की सम्भावना का भी हमें ख्याल रखना है, ताकि अगर वह हालत आई तो हम उसका भी उचित बन्दोबस्त कर लें। अतः मेरे मित्र खेर के कथन का मैं समर्थन करता हूं। साथ ही मेरी राय में 'सहित' (including) शब्द अनुपयुक्त है। अगर प्रस्ताव का मौलिक रूप ही रखा जाता है, तो 'सहित' शब्द में जो थोड़ा रगड़ा है वह भी खुद-ब-खुद दूर हो जाता है। इसके अलावा हमें सभी नियम एक साथ तो बनाने नहीं हैं। सम्भव है, सेक्शनों के सम्बन्ध में आगे चलकर नियम बनाने हों या हम अभी ही नियम बना दें, पर यह समझ कर कि यदि कोई संशोधन या परिवर्तन जरूरी हुए तो प्रोसीज्योर कमेटी उन्हें ठीक कर लेगी। यदि इसे और सदस्य शरीक करने का अधिकार मिल जाये तो सारी कठिनाइयां और आने वाली उलझनों से बचाव का रास्ता पहले से ही निकल आयेगा।

आचार्य जे.बी. कृपलानीः इस समिति की कार्यसीमा तथा यह कितने दिनों तक रहेगी, इस सम्बन्ध में सदस्यों में कुछ गलतफहमियां हैं। जैसा कि प्रस्ताव पेश करते हुए मैंने कहा था, जिन नियमों को बनाने की जरूरत है, वे यहां के वर्तमान कार्यों के संचालन के लिए होंगे। हमारे पास कोई भी कायदे नहीं हैं और हम नये सिरे से काम शुरू कर रहे हैं। मैंने यह भी कहा था कि नियम उसी तरह के होंगे, जिनसे अमुमन सभाओं का कार्य संचालन होता है। इस सम्बन्ध से मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि सेक्शनों और समितियों को स्वयं और नियम बनाने होंगे। वे उपनियम (बाई-रूल्स) या इसी तरह और कुछ कहे जा सकते हैं। यह समिति विस्तृत नियम न बनायेगी। जहां तक शरीक करने (कोआप्शन) का सवाल है, वह अभी नहीं उठता। यह समिति स्थायी नहीं होगी। सभा का कोई भी वर्ग आज अनुपस्थित है, यदि बाद में शामिल होने का फैसला करता है और उसे इन नियमों पर कोई आपत्ति है, तो यह सभा आज्ञा दे सकती है कि उन्हें दुहरा कर फिर ठीक किया जाये। इसलिए शरीक करने (कोआप्शन) का सवाल भी नहीं उठता। मेरी समझ में यह गलत तरीका है कि कोई भी कमेटी

[आचार्य जे.बी. कृपलानी]

एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा बनाई जाये और फिर उसे शामिल करने का अधिकार दिया जाये। सभापति जी, मुझे नहीं मालूम कि आपने इस संशोधन को पेश करने की इजाजत दी है या नहीं कि 10 सदस्य एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से चुने जायें और बाकी 5 अल्पसंख्यकों से लेकर शामिल किये जायें। हमने तो यह व्यवस्था कर ही दी है कि इस समिति के सदस्य एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से चुने जायें। इस व्यवस्था से सभी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो जायेगा। यह अच्छा नहीं कि अल्पसंख्यक दस सदस्यों की एक समिति द्वारा नियुक्त किये जाये। इसलिए सभापति जी, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, अगर आपने इसे रखने की इजाजत दी है। प्रस्ताव में ''सेक्शनों और समितियों सहित'' को जोड़ने की बात को मैं मंजूर करता हूं, चूंकि इसके पक्ष में एक बड़ा बहुमत है। *(हर्षध्वनि)*

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आचार्य कृपलानी ने एक प्रस्ताव पेश किया था। डॉ. सुरेशचंद्र बनर्जी ने उस पर एक संशोधन पेश किया। उस पर एक लम्बी बहस हुई है और सवाल के सारे पहलुओं पर पूरा प्रकाश डाला जा चुका है। उत्तर में आचार्य कृपलानी ने यह घोषित किया है कि वे डॉ. सुरेशचंद्र बनर्जी के संशोधन को मंजूर करते हैं। अब मैं इस पर सभा का मत लेता हूं।

***सरदार उज्जल सिंह** (पंजाब : सिख): उस संशोधन का क्या हुआ, जिसमें सभापति द्वारा मनोनीत करने तथा मेम्बरों द्वारा शामिल करने की बात थी?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): वह पेश नहीं हुआ था और इस समय मैं किसी भी संशोधन को रखने की इजाजत न दूंगा, जिसका मजमून मेरे सामने नहीं है।

इस सभा के सामने यह संशोधन है कि भाग (क) में 'एसेम्बली' शब्द के बाद ''सेक्शनों और समितियों सहित'' जोड़ दिया जाये।

संशोधन मंजूर हुआ।

***सरदार उज्जल सिंह:** सभापति जी, मैं यह संशोधन रखता हूं कि–

''दूसरी पंक्ति में '15 अन्य सदस्य' शब्द के बाद 'जिन्हें कोआप्ट करने का अधिकार है' जोड़ दिया जाये।''

इस संशोधन को रखने में मेरा उद्देश्य यह है–आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति

में सम्भव है, कुछ आवश्यक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व न मिले। आचार्य कृपलानी ने कृपा कर इस बात का जिक्र किया था कि सभी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था कर दी गयी है। पर शायद वह इस बात को भूल गये कि 212 सदस्यों की सभा को 15 व्यक्ति चुनना है और यदि सभा में कोई दल सिर्फ 4 या 5 सदस्यों का ही है, तो सम्भव है उसे प्रतिनिधित्व मिले ही नहीं। हो सकता है उस दल के सदस्य को आवश्यक मत न मिले और कमेटी में स्थान पाना उसके लिए सम्भव न हो। उस लघु अल्पमत को प्रतिनिधित्व देने का एकमात्र रास्ता है, सभापति द्वारा मनोनीत करने की या शामिल करने की व्यवस्था। उसी बात को दृष्टि में रखकर मैं यह संशोधन पेश करता हूं। मैं तो समझता हूं कि यह उपयुक्त होगा कि इस प्रश्न को हम सभापति पर छोड़ दें कि जिस दल को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उसके सदस्य कमेटी में कैसे लिए जायें। इससे सभापति के अधिकारों में वृद्धि होगी। पर यदि यह सम्भव नहीं है या सभा को ग्राह्य नहीं है, तो मैं सुझाव दूंगा कि यह अधिकार खुद कमेटी को दे दिया जाये। बहुत-सी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व न पाए हुए हितों को प्रतिनिधित्व देने की ऐसी व्यवस्था है। इन चंद शब्दों में मैं यह संशोधन पेश करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): संशोधन यह है कि दूसरी पंक्ति में ''मेम्बर्स'' शब्द के बाद ''जिन्हें कोआप्ट करने का अधिकार है'' जोड़ दिया जाये।

***सरदार हरनाम सिंह** (पंजाब : सिख): सभापति जी, मेरा सुझाव है कि यदि जरूरत हो तो हम इतना और जोड़ दें ''पांच से अधिक नहीं''।

***सरदार उज्जल सिंह:** इस संशोधन को मैं मंजूर करता हूं।

***श्री एस.एच. प्रेटर:** मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): श्री मोहनलाल सक्सेना ने एक संशोधन का नोटिस दिया है। वह कृपया संक्षेप में इसे पेश करें।

***श्री मोहनलाल सक्सेना** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि पैरा 4 में।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): किस पैरे से जनाब का मतलब है?

श्री मोहनलाल सक्सेना: मैं चाहता हूं कि पैरा नं. 4 में चेयरमैन के बाद

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

ये शब्द जोड़े जायें। ''सदस्यों को।''

मौजूदा तजबीज यह है कि अगर जो लोग नामजद किये गये हैं, उनकी तादाद चुने जाने वाली जगहों से कम हो तो नामजदगी के लिए दूसरा मौका देना होगा और उस समय तक ऐसा करते रहना होगा, जब तक नामजद किये जाने वालों की तादाद खाली जगहों के बराबर या उससे ज्यादा न हो जाये। आमतौर से यह कायदा होता है कि अगर नामजद किये आदमियों की तादाद कम होती है, तो ऐसे जितने लोग नामजद किये जाते हैं वह चुन लिए जाते हैं और बाकी जगहों के लिए दोबारा कार्रवाई की जाती है। मेरे संशोधन का भी यही मतलब है। मैं समझता हूं सभा इस संशोधन को मंजूर करेगी। आचार्य कृपलानी ने भी इसे मंजूर कर लिया है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): श्री मोहनलाल सक्सेना का संशोधन यह है कि सूची के पैरा नं. 4 में 'चेयरमैन' के बाद इतना और जोड़ दिया जाये ''ऐसे नामजद किये सदस्यों को चुना हुआ घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए''।

कोई इसका समर्थन कर रहा है?

***श्री एफ.आर. एन्थॉनी** (बंगाल : जनरल): सभापति जी, मैंने आखिरी पैरा नहीं सुना।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आपने आखिरी हिस्सा नहीं सुना? सर बी.एन. राव कृपया पढ़कर सुना दें।

***सर बी.एन. राव** (वैधानिक सलाहकार): सूची के पैरा नं. 4 में 'चेयरमैन' के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायें ''ऐसे नामजद किये हुए सदस्यों को चुना हुआ घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए।'' सभापति जी यदि आपकी इच्छा है कि मैं संशोधित पैराग्राफ पढ़कर सुना दूं, तो मैं खुशी से वैसा कर दूंगा।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): हां, सर नरसिंह पढ़कर सुना दीजिए।

***सर बी.एन. राव:** संशोधित पैराग्राफ यों है, ''यदि नामजद सदस्यों की संख्या उन जगहों से कम है जिन्हें भरना है, तो सभापति ऐसे नामजद किये सदस्यों को चुना हुआ घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए और अवधि निर्धारित करेंगे, जिसके अन्दर उक्त सूचना दी जा सकती है। और इसके बाद भी जब तक जगहों

की संख्या के बराबर सदस्य नामजद नहीं हो जाते, सभापति इसके लिए और अवधि बढ़ा सकते हैं।''

***श्री एफ.आर. एन्थॉनी:** सभापति जी, एक जानकारी चाहता हूं। मेरे एक सिख मित्र द्वारा उपस्थित संशोधन का क्या हुआ?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): वह तो पास हो गया।

***एक सदस्य:** 'पांच से अधिक सदस्य न कोआप्ट किए जायें' क्या यह संशोधन पास हो गया?

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** इसके सम्बन्ध में मुझसे राय ही नहीं ली गयी कि आया मैं इसे मंजूर करता हूं या नहीं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आपके प्रस्ताव पर आये हुए संशोधन के बारे में आपकी राय नहीं ली गयी?

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** मुझे मालूम ही नहीं कि संशोधन सभा के सामने आया है। यह पेश किया गया था और इसका समर्थन भी हुआ था, पर सभा ने इसे पास नहीं किया।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): सभा की राय पक्ष में मालूम पड़ी और इस तरह वह पास हो गया।

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** यह भी नहीं हुआ था *(लोग बीच में बोलने लगे)।*

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आर्डर, आर्डर। संशोधन मंजूर किया गया था।

***डॉ. पी.सी. घोष** (बंगाल : जनरल): सभा की राय उस पर नहीं ली गयी थी। सभापति के आसन से आपने सिर्फ कह दिया था कि वह मंजूर हो गया।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): सभा का काम कुछ तेजी से चलाना होगा। यदि माननीय सदस्य सावधान नहीं थे, तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं।

मैं मोहनलाल सक्सेना के संशोधन को पढ़ कर सुनाता हूं। आशा है सभा पुन: मुझ पर इल्जाम न लगायेगी कि मैं सभा का काम शीघ्रता से निपटाता जा रहा हूं।

[सभापति]

मैंने उसे एक बार सुना दिया था और सर बी.एन. राव ने इसे पुनः पढ़ दिया। यदि सभा चाहती है तो मैं इसे फिर पढ़ दूंगा। सूची के पैरा नं. 4 में 'चेयरमैन' शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें *(बाधा)*।

मैं नहीं चाहता कि जब मैं सभा के सामने बोलता रहूं, तो मुझे बीच में टोका जाये। संशोधन है ''सभापति ऐसे नामजद किये सदस्यों को नियमानुसार निर्वाचित घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए।'' चाहे इसका जो अर्थ हो, संशोधन यही है। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाथ उठाकर अपनी स्वीकृति दें। मिस्टर आयंगर, कृपया गिन तो लीजिए।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** सभापति जी, जब तक कोई विरोध न हो इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं।

***श्री एच.वी.आर. आयंगर** (सेक्रेटरी, विधान-परिषद्) : 50 पक्ष में।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): विपक्ष में कितने हैं?

***श्री एच.वी.आर. आयंगर** (सेक्रेटरी, विधान-परिषद्): एक।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): 50 पक्ष में और एक विपक्ष में, इसलिए यह पास हुआ–संशोधन मंजूर हो गया।

***श्री एच.वी. कामतः** मैंने एक जुबानी संशोधन रखा था। क्या मैं बोलने के लिए खड़ा हो सकता हूं?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आपके जुबानी संशोधन औरों के बाजाब्ता आए हुए संशोधन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप यह चाहते हैं कि भाग 1 (सी) में ''नियुक्ति'' के बाद ''कार्यों'' जोड़ दिया जाये। फिर वह भाग यों होगाः–

''(ग)सभा के कार्य का संगठन जिसमें नियुक्तियां, कर्तव्य तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।''

धारा (घ) में भी 'पूर्ति' शब्द के बाद 'में' जोड़ा जाये। आइये, प्रायः अपने संक्षिप्त भाषणों से आप अपनी बात मनवा लेने में सफल हो जाते हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** सभापति जी, मैं चाहता हूं कि धारा (ग) में 'नियुक्तियां' शब्द के बाद, 'कर्तव्य' भी जोड़ दिया जाये वह और धारा यों हो:–

''जिसमें नियुक्तियां, कर्तव्य तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।''

दूसरा संशोधन जो मैं रखना चाहता हूं, वह है धारा (घ) में। सभापति जी, प्रस्तावक महोदय से ससम्मान मैं निवेदन करूंगा कि 'पूर्ति में' (filling in) यह मुहाविरा अधिक शुद्ध है और इसलिए यही प्रस्ताव प्रयुक्त हो।

***एक सदस्यः** मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): श्री कामठ के संशोधन का, जिसे एक बार मैंने पढ़ा और फिर उन्होंने भी पढ़ा, समर्थन हो चुका है। क्या इस पर कोई जबरदस्त विरोध है?

***श्री के.एम. मुंशीः** हम लोगों ने नहीं सुना।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं काफी ऊंचा बोलता हूं। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर पढ़ देता हूं।

***दीवान चमनलाल** (पंजाब : जनरल): मैं ''filling in'' इस मुहाविरे के प्रयोग का विरोध करता हूं। न तो यह शुद्ध है और न सभाओं के कार्य संचालनादि के नियमों में प्रयुक्त ही होता है। प्रस्ताव में जो मुहाविरा है वह बिलकुल सही है और माननीय मित्र का यह संशोधन कि 'नियुक्ति' के बाद 'कर्तव्य' भी जोड़ दिया जाये, ठीक है। इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, यद्यपि यह स्पष्ट है कि 'पदाधिकारियों के अधिकार' में उनका कर्तव्य भी शामिल है। यदि अधिक स्पष्टीकरण के लिए यह जोड़ा जा रहा है तो इस पर आपत्ति नहीं हो सकती। पर असली प्रस्ताव में दिये हुए मुहाविरे के प्रयोग पर जो आपत्ति उठाई गयी है, वह नहीं स्वीकार की जा सकती, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हम लोग यहां व्याकरण और मुहाविरों पर बहस कर सकते हैं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं समझता हूं कि मिस्टर मुंशी चाहते हैं कि संशोधन फिर पढ़ा जाये।

नियम 1 के धारा (ग) में 'नियुक्ति' शब्द के बाद 'कर्तव्य' जोड़ दिया जाये, ताकि वह धारा यों पढ़ी जाये ''नियुक्ति, कर्तव्य तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार'' 'कर्तव्य' शब्द जोड़ने के लिए ही यह संशोधन रखा

[सभापति]

गया है। यदि सभा का रुख समझने में मैं भूल नहीं कर रहा हूं, तो सभा इस संशोधन को मंजूर करने के पक्ष में है मैं उसे स्वीकृत घोषित करता हूं।

श्री कामठ का एक दूसरा संशोधन है धारा (घ) में, मुहाविरा के संबंध में।

***कई सदस्यः** नहीं, नहीं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): सभा का रुख इसके विरुद्ध मालूम पड़ता है; यह नहीं मंजूर हुआ। कोई और संशोधन है?

***श्री एच.जी. खांडेकर** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): धारा 7 में 'ही' शब्द के बाद 'शी' शब्द भी जोड़ देना चाहिए, क्योंकि सभा में महिला सदस्य भी हैं और यहां उनका जिक्र नहीं है। 'सदस्य' शब्द से यह ध्वनि निकलती है कि कोई महिला सदस्य नहीं है और इसलिए 'ही' के बाद 'शी' और 'हिज' के बाद 'हर' भी धारा में जोड़ देना चाहिए।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): संशोधन का अभिप्राय यह है कि जहां तक सभा के महिला सदस्यों का सम्बन्ध है, हमें 'शी' शब्द रखकर उनकी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। मेरी रूलिंग है कि 'ही' में 'शी' भी शामिल है।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** सभापति जी, प्रस्ताव पर समष्टि रूप से मत नहीं लिया गया है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं यही कहने जा रहा था। सारे संशोधनों पर फैसला हो चुका है। अब मैं लम्बे प्रस्ताव को बिना पुनः पढ़े, राय के लिए आपके सामने रखता हूं। यदि आचार्य कृपलानी चाहते हैं, तो वे इसे पुनः सुना सकते हैं। हमने इन पर अच्छी तरह विचार कर लिया है। तमाम संशोधनों के साथ मैं इसे स्वीकृत घोषित करता हूं।

सभापति तथा समिति के सदस्यों के मनोनीतकरण के संबंध में विज्ञप्ति

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आज मुझे दो ऐलान करने हैं। पहला तो यह कि इस समिति के लिये नामजदगी बुधवार 11 दिसम्बर, 12 बजे दिन

सेक्रेटरी (श्री आयंगर) के कमरे में होगी। सब नामजदगियां कल 12 बजे तक हो जानी चाहिये। चुनाव कल चार बजे अंडर सेक्रेटरी के कमरे में होगा। मुझे नहीं मालूम कि एक काम के लिए सेक्रेटरी का कमरा और दूसरे काम के लिए अंडर सेक्रेटरी का कमरा क्यों रखा गया है। शायद सेक्रेटरी का कमरा ज्यादा बड़ा है। बैलट बॉक्स वहां हैं; मैं उस समय अनुपस्थित रहूंगा। मेरी तरफ से श्री एन्थॉनी उपस्थित रहेंगे।

दूसरी विज्ञप्ति मुझे करनी है स्थायी सभापति के नामजदगी की। स्थायी सभापति के चुनाव के लिए.....नामजदगी का समय कल दोपहर 2.30 है और यह होगा सेक्रेटरी के कमरे में। यदि चुनाव की जरूरत पड़ी तो उसकी व्यवस्था कर दी जायेगी। इसके बाद आज का काम समाप्त हुआ। दूसरी पहर अब कोई काम नहीं है।

***श्री शरतचन्द्र बोस** (बंगाल : जनरल): स्थायी सभापति की नामजदगी के लिए प्रस्ताव में यह है कि नामजदगी का परचा आपको या आपके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को देना होगा।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): नामजदगी का परचा लेने के लिए मैंने सेक्रेटरी श्री आयंगर को नियुक्त किया है।

***बख्शी सर टेकचन्द:** कल दिन को 2.30 तक?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आज अभी एक बजा है और नामजदगी के लिए डेढ़ घंटा और है। नाम वापस लेने का समय आज दो बजे तक है। कल सभा 11 या $11^{1}/_{2}$ बजे, जैसा आपको अनुकूल हो समवेत होगी।

***बहुत से सदस्य:** 11 बजे।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): बुधवार ता. 11 दिसम्बर सन् 1946 ई. को 11 बजे तक सभा स्थगित हुई।

इसके बाद सभा बुधवार ता. 11 दिसम्बर सन् 1946 ई. को 11 बजे दिन के लिए स्थगित हो गई।